संख्याः 1199 /1-11-2017-4(जी)/2017

प्रेषक

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा मेंए

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2017

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित योजना आपदा मित्र हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बाढ़ एवं शहरी बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या को तत्काल सहायता प्रदान एवं बचाव कार्यों हेतु प्रशिक्षित किये जाने के संबंध में प्रदेश के 02 जनपद गोरखपुर एवं बलिया से चयनित 200-200 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु रू0 90,80,000/- रूपये (नब्बे लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

S. No.	Scheme Component	Fund Allocations/per district (Rs. In Lakhs)	Specification
1	Printing of Training Modules	1.60	@ Rs 100 per module for 8 Modules for 200 participants per district
2	Training Of Volunteers	28.8	@ 8 batches of training per district (up-to 25 participants in each batch) @ Rs. 3.6 lakhs cost per batch training
3	Purchase of emergency responder kit	10.00	@ Rs 5000 per kit for 200 volunteers per district
4	Augmentation of Emergency Stockpile at Block/District level	5.00	@ Rs. 5 Lakhs. per district
	TOTAL	**45.40**	
	Total for two Districts	**45.40×2=90.80**	

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर

Scanned by CamScanner

रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-01 केन्द्र प्रायोजित योजना-0101 आपदा मित्रों के प्रशिक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का व्यय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध् प्राधिकरण द्वारा योजना हेतु निर्धारित गाइड लाइन एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत किया गया है। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4- उक्त राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

9- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-: 1199 (1)/ 1-11-2017-4(जी)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
5- परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
9- राजस्व अनुभाग-10/6,
10- राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव ।

Scanned by CamScanner